राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 42/2024

अपीलांटगण–

1. श्री ओमप्रकाश दतक पुत्र स्व. श्री राणाराम जाति जाट निवासी 14बी चौधरी टयूबेल शांतिप्रिय नगर, जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. श्रीमती वनू द्वितीय पत्नी श्री राणाराम जाति जाट निवासी जी 209 शास्त्रीनगर जोधपुर।
2. श्रीमती धनवंती पुत्र राणाराम जाति जाट, निवासी डी 14 चौधरी बोरवेल जोधपुर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा, जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 3661 दिनांक 29.08.2024 जो तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 26.03.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत मौजा मंडापुरा, पटवार मण्डल पचपदरा, तहसील पचपदरा खेत खसरा नंबर 814, 815 कुल रकबा 11.0150 बीघा तहसील पचपदरा के नामान्तरकरण सं. 3661 पर तहसीलदार समदड़ी द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 29.08.2024 के विरूद्ध दिनांक 16.10.2024 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा मंडापुरा, पटवार मण्डल पचपदरा, तहसील पचपदरा खेत खसरा नंबर 814, 815 कुल रकबा 11.0150 बीघा अवस्थित है। उक्त खसरान भूमि सरहद मंडापूरा, पटवार हल्का पचपदरा का फौत उपरांत वारिसान के शपथ पत्र के आधार पर हल्का पटवारी पचपदरा द्वारा नामान्तरणकरण खोला गया व तहसीलदार पचपदरा द्वारा दिनांक 26.09.2024 को नामान्तरणकरण संख्या 3661 को स्वीकृत किया गया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित आदेश 26.09.2024 के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं आलोच्य अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि उक्त विवादित भूमि मौजा मंडापुरा, पटवार मण्डल पचपदरा, तहसील पचपदरा खेत खसरा नंबर 814, 815 कुल रकबा 11.0150 बीघा आया हुआ है। उक्त खसरान की भूमि पूर्व में अपीलांट के पिता राणाराम के 60/871 हिस्से की खातेदारी में दर्ज थी। राणाराम का देहांत दिनांक 23.01.2017 हो गया। उक्त भूमि में राणाराम के वारिसानों में अपीलांट (पुत्र) का 1/3 हिस्सा व पुत्री धनवन्ती का 1/3 हिस्सा एवं राणाराम जी की प्रथम पत्नी श्रीमती खेमीदेवी व द्वितीय पत्नी वनू का संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्सा निहित हुआ एवं उसी के अनुसार समस्त खातेदार काबिज हो गये। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 की माता श्रीमति खेमीदेवी (प्रथम पत्नी) का दिनांक 05.06.2021 को देहावसान हो गया। जिससे उनके हक हिस्से में उनके विधिक वारिसान की हैसियत से अपीलांट पुत्र व रेस्पोडेंट संख्या 2 पुत्री का हक हिस्सा निहित हो गया। जिससे उक्त खसरान भूमि पर विधिवत रूप से अपीलांट का 25/871 एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 धनवन्ती का 25/871 हक हिस्सा अधिकार कायम हो गये तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 वनु द्वितीय पत्नी का हक हिस्सा 10/871 निहित हो गया। उसी अनुसार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट उक्त खसरान की भूमि पर अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है। अभी हाल में दिनांक 29.08.2024 को रेस्पोडेंट संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर अपीलांट के हक हिस्से की भूमि को हड़पने की नीयत से अपीलाधीन नामातरकरण संख्या 3611 के जरिये अपने हिस्से से अधिक भूमि यानि 20/871 हिस्सा अपने नाम करवा दिया जबकि वास्तव में रेस्पोडेंट का 10/871 हिस्सा ही बनता है। अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 3661 तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलांट को बिना सुने, बिना तथ्यों की जानीकारी से रेस्पोडेंट संख्या 1 के साथ मिलीभगत कर स्वीकृत किया गया। उक्त म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही नोटिस दिया गया तथा न ही रेकर्ड व मौके की जांच की गई। अतः अपीलांट को उक्त आलोच्य म्युटेशन भरने पर

जिला कलक्टर
बालोतरा

किसी भी प्रकार नोटिस या सूचना नहीं देने के कारण, सुनवाई का अभाव होने के कारण एवं अपीलांट को हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 से वंछित करने पर आपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 3661 दिनांक 29.08.2024 को तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि उक्त विवादित भूमि मौजा मंडापुरा, पटवार मण्डल पचपदरा, तहसील पचपदरा खेत खसरा नंबर 814, 815 कुल रकबा 11.0150 बीघा आया हुआ है। उक्त खसरा के खातेदार राणाराम का 60/871 हिस्सा रहा। राणाराम का देहान्त होने के बाद राणाराम के वक्त म्युटेशन संख्या 3661 पारित करते वक्त तीन वारिस अपीलांट दत्तक पुत्र, रेस्पोडेंट संख्या 1 पत्नी तथा धनवन्ती पुत्री होने के नाते रहा। खेमीदेवी प्रथम पत्नी राणाराम का देहांत प्रश्नगत म्युटेशन संख्या 3661 पारित करने से पूर्व ही हो चुका था। प्रश्नगत म्युटेशन पारित करने वक्त प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र भी उल्लेखित कर किया गया था। उक्त आलोच्य म्युटेशन पारित करते वक्त राणाराम के तीन ही वारिसान जीवित थे, जो उक्त म्युटेशन तीनों वारिसान के तौर पारित किया गया। उक्त खसरा की भूमि अपीलांट, रेस्पोंडेट संख्या 1, रेस्पोडेंट संख्या 2 तीनों ही राणाराम के जीवित वारिसान होने से समान हिस्सा 20/871 हिस्सा रहेगा। यदि म्युटेशन पारित करते वक्त खेमीदेवी जीवित होती, तो उक्त म्युटेशन में नाम इन्द्राज होता। खेमीदेवी उक्त भूमि की खातेदार नहीं रहीं। तहसीलदार पचपदरा द्वारा उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिवत रूप से आलोच्य म्युटेशन स्वीकृत किया गया। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आधारहीन तथ्यों के आधारित होने से खारिज योग्य है।

6. रेस्पोडेंटगण संख्या 2 को जारी नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तामील नोटिस प्राप्त हुए, लिहाजा रेस्पोडेंटगण संख्या 2 की तलबी पूर्ण। रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजूद सूचना दौराने बहस/सुनवाई अनुपस्थित रहे।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि वर्तमान प्रकरण में विवादित म्युटेशन संख्या 3661 जो खेत खसरा नंबर 814, 815 रकबा 11.0150 बीघा भूमि सरहद मौजा मंडापुरा, पटवार मण्डल पचपदरा, तहसील पचपदरा खातेदार राणाराम के फौत होने पर हल्का पटवारी पचपदरा द्वारा नामान्तरणकरण खोलना बताया, जिसे अधीनस्थ तहसीलदार पचपदरा द्वारा

जिला कलक्टर
बालोतरा

दिनांक 26.09.2024 को स्वीकृत करना बताया है। अधीवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस जमाबंदी उपलब्ध करवाई जिसका अवलोकन किया, जिसमें दिनांक 15.10.2024 को उक्त आलोच्य म्युटेशन संख्या 3661 को पुनर्विलोकित होना पाया गया तथा खातेदार राणाराम पुत्र जोराराम का नाम दर्ज होना पाया गया व साथ ही अपीलांट का नाम दर्ज नहीं होना पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त आलोच्य म्युटेशन शून्य होना प्रतीत होता है। इस प्रकार समस्त पक्षकरान की पुनः सुनवाई करते हुए विरासत के आधार पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत नवीन म्युटेशन दर्ज करना उचित प्रतीत होता है। जिसे उक्त आलोच्य म्युटेशन यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि उक्त आलोच्य म्युटेशन के समस्त पक्षकरों की जांच कर ले एवं नियमानुसार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत समस्त पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देते हुए नवीन म्युटेशन दर्ज करने की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलेक्टर, बालोतरा